न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं.– 01/2024

जीसीएमएस सख्या – (2024/26)

निगरानीकर्ता/प्रार्थीः–

1. पुरखाराम पुत्र स्व. जोगाराम
2. रूपाराम पुत्र स्व. जोगाराम
3. तुलछाराम पुत्र स्व. जोगाराम
4. पूंजाराम पुत्र स्व. जोगाराम
5. राजुराम पुत्र स्व. जोगाराम

जातियान सुथार निवासीगण खिरजा भोजा, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण/गैर निगरानीकारः–

1. ग्राम पंचायत कोर्ट खिरजा तिबना वर्तमान खिरजा फतेहसिंह जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत कोर्ट खिरजा तिबना, जोधपुर।
2. ग्राम सेवक पदेन सचिव, ग्राम पंचायत खिरजा तिबना वर्तमान खिरजा फतेहसिंह तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
3. खेतु देवी पत्नी राणाराम जाति सुथार उम्र 32 वर्ष
4. श्रीमती विमला देवी पत्नी अणदाराम जाति सुथार उम्र 20 वर्ष
5. राणाराम पुत्र जीयाराम जाति सुथार उम्र 50 वर्ष
6. अणदाराम पुत्र जेयाराम जाति सुथार उम्र 32 वर्ष

   निवासीयान खिरजा तिबना, वर्तमान खिरजा फतेहसिंह, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
7. डुंगरसिंह पुत्र परबत सिंह जाति राजपूत उम्र 55 वर्ष
8. मोती पुरी पुत्र आईदान पुरी, जाति स्वामी उम्र 38 वर्ष

   निवासीयान ग्राम खिरजा भोजा, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्व पट्टा सं. 03, मिसल सं. 03/1984–85 दायर दिनांक...............ग्राम पंचायत कोर्ट खिरजा तिबना, पं.स. शेरगढ द्वारा दिनांक 10.09.1984 को जारी किया गया, को निरस्त करने बाबत।

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश राठी (प्रार्थीगण की ओर से)।
2. अप्रार्थी सं. 03 से 08 तक की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

–निर्णय– दिनांक : 28.07.2025

1. यह निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अंतर्गत ग्राम पंचायत खिरजा तिबना पं.स. शेरगढ द्वारा मिसल सं. 03/1984–85 में जारी पट्टा सं. 03 दिनांक 10.09.1984 को खारिज करने हेतु दिनांक 10.10.2023 को अतिरिक्त जिला कलक्टर (ग्रामीण), जोधपुर में प्रस्तुत की गई है, जहां से स्थानांतरित होकर इस न्यायालय में दिनांक 25.06.2024 को दर्ज की गई।
2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सं. 03 से 08 तक की ओर से श्री श्रीराम चौधरी, अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया।
3. निगरानी मीमों अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी के पूर्वज धूडाराम के स्वामित्व की कब्जासुदा आवासीय भूमि ग्राम खिरजा तिबना में आई हुई है। धूडाराम के स्वर्गवास के पश्चात् उनके दो लडके खानूराम व जोराराम हुए। खानूराम के दो पुत्र जीयाराम व जोगाराम हुए। जीयाराम के निधन हो जाने पर पुत्र राणाराम व अणदाराम हुए। जिसमें जियाराम का 1/4 हिस्सा है। जोगाराम के पांच पुत्रों का 1/4 हिस्सा रहा। 1/2 हिस्सा जोराराम का था जिसे उनकी पत्नी गोमतीदेवी ने गुमान सिंह, रामदयाल व डूंगरसिंह को बेचान कर दिया। जोराराम के दो पुत्र खेताराम व पेमाराम है। पेमाराम ने अपने हिस्से पर मकान बना लिया। इस प्रकार उक्त आवासीय भूमि पर वर्षों से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्से का उपयोग–उपभोग कर रहे थे। इसी दरम्यान राणाराम व अणदाराम के साथ में डूंगरसिंह के द्वारा षडयंत्रपूर्वक धोखाधड़ी करते हुए, प्रार्थीगण के अपने आवासीय मकान के आगे जो भूमि आई हुई थी, उस पर कब्जा करने व हडपने की नियत से पट्टा सं. 3, मिसल सं. 03/1984–85 जेयाराम पुत्र खानूराम के नाम दिनांक 10.09.1984 को 13300 वर्गफीट (1477.777 वर्गगज) का सरपंच, उप सरपंच व सचिव के फर्जी हस्ताक्षर करके प्राप्त कर लिया तथा उस पट्टे के आधार पर खेतुदेवी व विमला देवी के नाम एक विक्रय विलेख दिनांक 30.03.2010 को पुस्तक सं. 1, जिल्द सं. 95 क्रम सं. 360 पर उप पंजीयक कार्यालय बालेसर में पंजीबद्ध करवा दिया तथा अप्रार्थीगण सं. 03 से 08 तक ने प्रार्थीगण के हिस्से में कब्जा करने की नियत से पट्टिया लगानी शुरू कर दी, जिसकी जानकारी होने पर प्रार्थीगण ने दिनांक 05.09.2023 को ग्राम पंचायत खिरजा तिबना से पट्टे की नकल मांगी तो ग्राम पंचायत खिरजा तिबना ने

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

पत्रांक 81/2023/ग्रा.प.खि.ति. दिनांक 08.09.2023 से सूचित किया कि चाहा गया अभिलेख उपलब्ध नहीं है। खेतुदेवी व विमलादेवी ने एक दावा रूपाराम व पूंजाराम के खिलाफ सिविल कोर्ट बालेसर में पेश किया, उसमें भी, उस फर्जी पट्टे की कॉपी पेश नहीं की। अतः बिना पट्टे की प्रति के ही यह निगरानी पेश की जा रही है। पट्टे का ग्राम पंचायत में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थी सं. 1 व 2 के द्वारा अप्रार्थी सं. 3 व 4 के पक्ष में हुए बेचाननामा को पट्टा सं. 3 के आधार पर खरीदना बताया गया है। दिनांक 10.09.1984 को तथाकथित पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी नहीं किया गया है। यह पट्टा ग्राम पंचायत की आम सभा द्वारा प्रस्ताव जारी करके जारी नहीं किया गया है। पट्टा आदेश बिना मौका जांच, नाप–चौक, कब्जा सत्यापन, बिना आवासीय निर्माण जारी किया है। पट्टा पंचायतीराज नियमों में विहित प्रकिया का पालना किये बिना ही जारी किया है। पट्टे की प्रति पंचायत समिति में भी उपलब्ध नहीं है। नियमों के तहत सिर्फ पुराने कब्जों का ही नियमन किया जा सकता है। मौके पर प्रार्थीगण ने समय समय पर प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत मकान निर्मित किये है, जिसको नजरअंदाज कर मकानों के आगे खाली पडी भूमि पर पट्टा जारी किया है जो गलत है तथा गलत पट्टा के आधार पर 40 वर्ष बाद बेचाननामा किया है, जबकि पट्टा नियमों अनुसार जारी नहीं हो सकता। खाली भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया है, पंचायत में कोई मिसल नहीं है। ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी 3 से 6 तक के पूर्वजों को कोई पट्टा जारी नहीं किया है। मौके का कोई नक्शा तैयार नहीं किया है, न ही निरीक्षण कमेटी ने रिपोर्ट तैयार की तथा न ही पंचायत ने निरीक्षण रिपोर्ट का परीक्षण कर पट्टा जारी करने का प्रस्ताव पारित किया है तथा न ही आम जनता से आक्षेप आमंत्रित किये है। इस प्रकार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 3 से 6 तक के पूर्वजों के संयुक्त कब्जा की पुश्तैनी खानदान की भूमि पर फर्जी पट्टा जारी किया है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है तथा फर्जी पट्टे के आधार पर प्रार्थीगण के कब्जे व आवास निर्माण करने में रोकने का प्रयास गलत रूप से किया है। ग्राम पंचायत को इतने बडे भूखण्ड का पट्टा देने का कोई अधिकार ही नहीं था। रसीद सं. 31 दिनांक 10.09.1984 बिना मूल्यांकन के जारी की है। इस प्रकार बिना क्षेत्राधिकार, गैर कानूनी रूप से जारी पट्टा को कभी भी निरस्त किया जा सकता है तथा ऐसे पट्टे से अप्रार्थीगण को कोई हक–हकूक, स्वत्व व अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। अतः पट्टा खारिज किया जावे।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

4. निगरानी के साथ धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है तथा पंचायत में/पंचायत समिति में रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने से पट्टा की नकल पेश करने से छूट देने बाबत प्रार्थना पत्र भी पेश किया है, जो स्वीकार किया जाता है तथा निगरानी अंदर म्याद प्रस्तुत करना मानी जाती है।

5. ग्राम पंचायत खिरजा तिबना ने पत्रांक 147 दिनांक 30.05.2024 से सूचित किया है कि पट्टे से संबंधित अभिलेख ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। विकास अधिकारी पं.स. शेरगढ ने पत्रांक 11.07.2025 से सूचित किया है कि पट्टा सं. 3 दिनांक 10.09.1984 (जेयाराम पुत्र खानूराम के नाम जारी) ढूंढने पर भी कार्यालय में नहीं पाया गया। रिपोर्ट के साथ 3 सदस्य कमेटी की रिपोर्ट पेश की है। इस प्रकार पट्टा सं. 3 दिनांक 10.09.1984 की प्रति पंचायत समिति में भी उपलब्ध नहीं है तथा ग्राम पंचायत में भी मिसल सं. 03/1984–85 व पट्टा वितरण रजिस्टर वर्ष 1984–85 उपलब्ध नहीं है।

6. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

7. निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री ओ.पी. राठी ने निगरानी मीमों में अंकित अभिकथनों को दोहराते हुए कथन किया कि मौके पर प्रार्थीगण के प्रधानमंत्री आवास योजना में मकानात बने हुए है तथा भूखण्ड उनके पूर्वज धूडाराम के समय से संयुक्त कब्जे का है। अप्रार्थीगण का कोई कब्जा नहीं है न ही कभी रहा है। अप्रार्थीगण द्वारा कब्जा करने की कोशिश करने पर एफआईआर दर्ज करवाई गई तथा पुलिस ने मौके पर पट्टियां रोपने से उन्हें रोक दिया। जीयाराम के नाम 1477.777 वर्ग गज का पट्टा गलत जारी किया है, जिसका बेचान 30.03.2010 को अप्रार्थी सं. 3 व 4 को किया है। जानकारी होने पर यह निगरानी पेश की है। खेतुदेवी ने इस निगरानी के बाद सिविल कोर्ट बालेसर पर सिविल दावा पेश किया है, जिसमें उसने पट्टे की नकल पेश नहीं की है। यह पट्टा षडयंत्रपूर्वक, धोखाधडी से व मिली भगत से फर्जी जारी किया है। नियमों की पालना नहीं की गई है। कमेटी का गठन, कमेटी की मौका रिपोर्ट, पंचायत द्वारा रिपोर्ट पर निर्णय, सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित किये बिना ही पट्टा बना दिया, जबकि प्रार्थीगण का 50 वर्षों से भूखण्ड पर कब्जा है। धूडारामजी के भाईयों के परिवार भी पास में रहते है। ग्राम पंचायत ने बहुत कम कीमत में पट्टा जारी किया है तथा सरकार को वित्तीय हानि हुई है। अतः दिनांक 10.09.1984 को जारी अवैध पट्टा को खारिज किया जावे।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

8. अप्रार्थीगण सं. 3 से 8 तक के विद्वान अधिवक्ता श्री श्रीराम चौधरी ने बहस में भाग नहीं लिया तथा न ही किसी प्रकार का जवाब पेश किया। पत्रावली की आदेशिका दिनांक 08.07.2024 अनुसार अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने जवाब/बहस हेतु समय मांगा, जो दिया गया। दिनांक 12.08.2024, 20.08.2024, 28.08.2024, 16.10.2024, 21.10.2024, 05.11.2024, 13.11.2024, 26.11.2024, 11.12.2024, 17.02.2025, 27.05.2025, 14.07.2025 को अनुपस्थित रहे तथा न तो जवाब पेश किया है तथा न ही बहस हेतु उपस्थित हुए है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निस्तारण मेरिट पर किया जाना न्यायोचित है।

9. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन कर, उसका अवलोकन किया। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस में प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। विधिक प्रावधानों का अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया।

a) याचीगण ने यह निगरानी ग्राम पंचायत खिरजा तिबना, पंचायत समिति शेरगढ जिला जोधपुर द्वारा मिसल सं. 03/1984-85 में दिनांक 10.09.1984 को जारी पट्टा सं. 03 बहक श्री जेयाराम पुत्र खानूराम सुथार (बरडवा) के नाम 13300 वर्गफीट (1477.777 वर्गगज) को अपास्त करने हेतु पेश की है तथा निगरानी के साथ उक्त विवरण के पट्टे की फोटोप्रति पेश की है, जिसके अनुसार आक्षेपित पट्टा नियम 266 राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत नियम 1961 के तहत 167 रूपये की राशि रसीद सं. 31 दिनांक 10.09.1984 से पंचायत के संकल्प सं. 5 अनुसार जारी किया है जिस पर सरपंच, उप सरपंच व सचिव के हस्ताक्षर है। उक्त विवरण के पट्टे की भूमि दिनांक 30.03.2010 को जेयाराम द्वारा अप्रार्थी खेतुदेवी व विमलादेवी को रूपये 200000/-(दो लाख रूपये मात्र) का प्रतिफल लेकर जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज 13300 वर्गफीट भूमि हस्तांतरित की है तथा इस दस्तावेज में पट्टे का विवरण अंकित है। यह दस्तावेज उप पंजीयक, बालेसर के कार्यालय में दस्तावेज सं. 360/2010 पर पंजीबद्ध हुआ है।

b) इस आक्षेपित पट्टे को जारी करने हेतु ग्राम पंचायत, खिरजा तिबना में संधारित मिसल, पट्टा की प्रति व ग्राम पंचायत का बैठक विवरण रजिस्टर इस न्यायालय द्वारा परीक्षण हेतु तलब किया गया। ग्राम पंचायत से पत्रांक 147 दिनांक 30.05.2024 से प्रत्युत्तर आया कि वांछित अभिलेख ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। इस प्रत्युत्तर के बाद विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शेरगढ से उनके कार्यालय में रखी जाने वाली पट्टे की प्रति मांगी गई, जिस

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

पर विकास अधिकारी ने पत्र दिनांक 11.07.2025 से इस न्यायालय को सूचित किया कि आक्षेपित रिकॉर्ड को ढूंढने हेतु उनके द्वारा एक तीन सदस्यीय टीम गठित की, जिनकी रिपोर्ट अनुसार गहनता से जांच/खोज करने पर भी कार्यालय में आक्षेपित पट्टा का रिकॉर्ड नहीं मिला। इसी प्रकार, निगरानीकर्ता ने भी सूचना के अधिकार के तहत पंचायत समिति/ग्राम पंचायत से आक्षेपित पट्टे से संबंधित अभिलेख की प्रतियां मांगी थी, परंतु उन्हे भी पट्टे का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने का जवाब मिला। इसी प्रकार, निगरानीकार के अनुसार, अप्रार्थी ने एक सिविल वाद स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने बाबत सिविल कोर्ट बालेसर में पेश किया है, उसमें भी पट्टा की प्रति पेश नहीं की।

इसके अतिरिक्त अप्रार्थीगण ने भी अपने बचाव में, आक्षेपित पट्टे के अभिलेख की प्रमाणित प्रतियां पेश नहीं की है।

उक्त प्रकार के सभी स्तरों पर किये गये प्रयासों के बावजूद भी आक्षेपित पट्टा जारी करने हेतु संधारित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हुआ है तथा अप्रार्थीगण ने भी पेश नहीं किया है। इस प्रकार इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि आक्षेपित पट्टा जारी करने का कोई रिकॉर्ड ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत रूप से संधारित नहीं किया गया है तथा ग्राम पंचायत द्वारा नियमों में दी गई प्रक्रिया का पालन करके आक्षेपित पट्टा जेयाराम के पक्ष में जारी नहीं किया है। याचीगण ने पट्टे की जो फोटोप्रति पेश की है वह या तो जाली है या फिर तत्कालीन सरपंच ने अपने निजी स्तर पर ही पट्टा जारी किया है, जिसे विधि अनुरूप जारी पट्टा की श्रेणी में नहीं माना जा सकता।

c) आक्षेपित पट्टा पुराने राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 के तहत जारी राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत नियम 1961 के नियम 266 के अंतर्गत जारी किया है, जिनमें नियम 256 से 268 तक में ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि में पट्टे जारी करने की विस्तृत प्रकिया निर्धारित की गई है, जिसमें आवेदन प्राप्त करना, पत्रावली संधारित करना, पट्टा बही रखना, कमेटी द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार करना, मौका का नक्शा तैयार करना, सार्वजनिक आक्षेप प्राप्त करना, ग्राम पचांयत की बैठक में प्रस्ताव पारित करना, निर्धारित प्रपत्र में पट्टा जारी करना एवं उनका पंजीयन कराना शामिल है। उक्तानुसार प्रकिया अपनाए बिना आबादी भूमि में पट्टा जारी नहीं किया जा सकता तथा हस्तगत

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

प्रकरण में उक्तानुसार प्रक्रिया अपनाकर आक्षेपित पट्टा जारी करने का पूर्णतः अभाव पाया गया है।

d)(i)माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने समय–समय पर पारित निर्णयों में यह व्यवस्था प्रतिपादित की है कि ग्राम पंचायत में पट्टे जारी करने बावत संधारित होने वाला रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने पर जांच कर निगरानी में ऐसे पट्टे खारिज किये जा सकते है। कुछ न्यायिक दृष्टांत निम्नानुसार है:-

1. SBCWP No. 8612/2008 (D/d 23-10-2008)
2. SBCWP No. 9126/2016 (D/d 12-08-2016)
3. SBCWP No. 8148/2012 (Shanti devi v/s State, D/d 25-11-2016)
4. SBCWP No. 8211/2012 (Lokesh v/s Panchayat Samiti Bhadesar, D/d 03-02-2022)

(ii) इसी प्रकार निगरानी में परीक्षण के दौरान अवैध रूप से पट्टा जारी होना, पाया जाने पर रजिस्टर्ड पट्टा भी खारिज किया जा सकता है, ऐसे अवैध पट्टे को सिविल कोर्ट से खारिज करवाने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है ऐसी व्यवस्था निम्न न्यायिक विनिश्चयों में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित की है:–

1. नागरमल बनाम एडीएम सीकर– 2013(1) WLC (Raj)-768
2. नगर परिषद पाली बनाम दीनदयाल– DBSAW No. 485/2013 (D/d-16-07-2015, RHC Jodhpur)
3. झुमरराम बनाम एडीएम–II, जोधपुर–DBSAW No. 656/2017, (D/d 15-12-2017, RHC Jodhpur)
4. कमलादेवी बनाम स्टेट– DBSAW No. 136/2017 (D/d 27-03-2017)
5. मिश्रीमल बनाम स्टेट– SBCWP No. 5206/2016 (D/d 21-09-2016, RHC Jodhpur)

उक्त विधिक अनुसार अवैध रूप से जारी आक्षेपित पट्टा दिनांक 10.09.1984 के आधार पर, जेयाराम द्वारा अप्रार्थी खेतुदेवी व विमलादेवी के पक्ष में निष्पादित बेचाननामा दिनांक 30.03.2010 से क्रेता को कोई हक–हकूक व अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि क्रेता को संपति क्रय करते समय सावधान रहना चाहिए। (Doctrine of Caveat Empter) ऐसा ही सिद्धांत घेवरचंद बनाम स्टेट RJT 2017(3) 1995 में दिया गया है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

(iii)इसी प्रकार संयुक्त परिवार की पुश्तैनी भूमि पर पट्टे जारी करते समय हितबद्ध सभी पक्षकारों को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करने के बाद ही ग्राम पंचायत को नियमन/आवंटन के तहत पट्टे जारी करने चाहिए। संयुक्त परिवार के अन्य व्यक्तियों के हितों की अनदेखी करके केवल मात्र एक सदस्य के पक्ष में पट्टा जारी करना न्यायोचित नहीं है। ऐसी ही व्यवस्था, 'माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने SBCWP No. 16564/2021 (बंशीलाल बनाम स्टेट) में पारित निर्णय दिनांक 08.02.2024 में दी है–

"If there is an ancestral property for which Patta is to be issued and the shares in the property had not been determined and divided, the allotment Patta should not be done in favour of one party, unless it is brought before the authority that all the other parties have relinquished their rights in favour of one person or there is no dispute with respect to grant of the Patta in favour of one of the parties."

10. उपरोक्तानुसार विवेचन एवं विश्लेषण से इस न्यायालय की राय में आक्षेपित पट्टा जेयाराम के पक्ष में गलत व विधि प्रावधानों के विपरीत जारी किया है (यदि जारी हुआ है तो) तथा वह अवैध व शून्य है तथा खारिज योग्य है।

आदेश

11. उपरोक्त निष्कर्षानुसार ग्राम पंचायत खिरजा तिबना द्वारा मिसल सं. 03/1984–85 में जारी पट्टा सं. 03 दिनांक 10.09.1984, प्रस्ताव सं. 5 से बहक जेयाराम पुत्र खानूराम जाति सुथार (बरडवा) निवासी खिरजा भोजा बनाप 1477.777 वर्गगज खारिज किया जाता है तथा इसे अवैध व शून्य करार दिया जाता है तथा इस संबंध में पारित समस्त प्रस्ताव (यदि पारित हो तो) खारिज किये जाते है।

12. निर्णय की प्रति विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शेरगढ को उनके पत्रांक पंसशे/2025 दिनांक 11.07.2025 तथा ग्राम पंचायत खिरजा तिबना पंचायत समिति सेखाला, को उनके पत्रांक 147 दिनांक 30.05.2024 के संदर्भ में अभिलेख संधारण हेतु भेजी जावे।

13. इसी प्रकार निर्णय की प्रति अप्रार्थी सं. 03 व 04 को रजिस्टर्ड पत्र से भेजी जावे।

14. पत्रावली बाद तामिल व तक्मील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नंबर से कम हो।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

15. अन्य लंबित समस्त प्रार्थना पत्र (यदि कोई हो तो) एतदद्वारा निस्तारित किये जाते है।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

यह निर्णय आज दिनांक 28.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर